

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली, बुध्दिवार, सितम्बर 28, 1978/आश्विन 6, 1900
No. 447] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 1978/ASVINA 6, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1978

आदेश

का० प्रा० 578] (प्र) :—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 109 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक और समीचीन है, प्रत्येक अनुज्ञप्त व्यवहारी को ऐसे स्वर्ण आधुपणों की बाबत, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट उसके अपने परिसर से बाहर ग्राहक (अनुज्ञप्त व्यवहारी से भिन्न) के परिसर में कम करने से पूर्व पसंख करने और न्यून करने के लिए भेजे गए हैं, निम्न-लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (7) के खंड (ख) के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

(क) ऐसे संव्यवहारों के लिए व्यवहारी एक अलग बाउचर बुक रखेगा, प्रत्येक बाउचर के ऊपर "उक्त बाउचर" शब्द लिखे होंगे

- (ख) उचित वाउचर पर, अनुज्ञप्त परिसर से बाहर आभूषण ले जाने का समय और तारीख अंकित की जाएगी और वह अनिवार्यतः आभूषणों के साथ भेजा जाएगा ;
- (ग) उचित वाउचर के अन्तर्गत आने वाले आभूषण, यदि क्रय के लिए उन्हें पसंद नहीं किया जाता है तो हटाए जाने के चौबीस घंटे के भीतर अनुज्ञप्त परिसर से वापस कर दिए जाएंगे और न बिके हुए आभूषणों के वापस प्राप्त हो जाने पर, ऐसा प्रत्येक वाउचर रद्द कर दिया जाएगा ; और
- (घ) ऐसे ग्राहक को आभूषण बेचने के संबंध में पृथक् रूप से विक्रय वाउचर जारी किया जाएगा और स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 के अधीन विनिर्दिष्ट प्ररूप में समुचित प्रविष्टियां की जाएंगी।

[सं० 18/78 फा० सं० 132/1/78 स्वर्ण II]

मा० रामचन्द्रन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th September, 1978

ORDER

S.O. 578(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government, being of opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts every licensed dealer from the operation of the provision of clause (b) of sub-section (7) of section 27 of the said Act in respect of gold ornaments sent outside the premises specified in his licence to the premises of the customer (other than a licensed dealer) for approval and selection before purchase subject to the following conditions that :—

- (a) the dealer shall maintain a separate voucher book for such transactions, each voucher being superscribed with words 'Suspense Voucher' ;
- (b) the time and date of the removal of ornaments outside the licensed premises shall be noted in the suspense voucher, which shall invariably accompany such ornaments ;
- (c) ornaments covered by suspense voucher, if not approved for purchase, shall be returned to the licensed premises within twenty four hours of their removal and that each such voucher shall be cancelled on receipt back of unsold items of ornaments ; and
- (d) in respect of ornaments sold to such customer, a separate sale voucher shall be issued and suitable entries made in the forms specified under the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous matters) Rules, 1968.

[No. 18/78 F. No. 132/1/78-GC. II]

M. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.